पंचायत निगरानी संख्या : 259/2024
उनवान : किशोर कुमार बनाम सोनी बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 259/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/295

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
किशोर कुमार पुत्र गोपीलाल जाति लौहार निवासी ग्राम बांकली, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.	बनाम	1. श्रीमती सोनी बाई पत्नी रामाराम, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम बांकली, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. 2. ग्राम पंचायत बांकली, जरिये सरपंच, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत बांकली के आदेश व प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 01 दिनांक 06.01.2009 की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में मिसल/पत्रावली संख्या 194/2008–09 से विक्रय–विलेख (पट्टा संख्या) 39 दिनांक 28.08.2009 को जारी किया जिसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्र सिंह देवड़ा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 26.05.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत बेड़ा के **ग्राम पंचायत बांकली के आदेश व प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 01 दिनांक 06.01.2009 की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में मिसल/पत्रावली संख्या 194/2008–09 से विक्रय–विलेख (पट्टा संख्या) 39 दिनांक 28.08.2009 को जारी किया जिसे निरस्त कराने हेतु** पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि पंचायत जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव से जारी विक्रय विलेख पट्टा संख्या 39 की कार्यवाही तमाम ही विधि तथ्य व रिकॉर्ड के विरुद्ध होने से तथा साक्ष्य के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 39 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.01.2009 की अनुपालना में दिनांक 28.08.2009 को पुश्तैनी मकान मानकर राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (1) के तहत विक्रय राशि रुपये 100/– प्राप्त कर जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड मय मकान प्रथमतः अप्रार्थी संख्या 01 का पुश्तैनी नहीं है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त भूखण्ड मय मकान अपने ससुर एवं पति का है। साथ ही उक्त जैर निगरानी पट्टा पट्टाशुदा भूखण्ड मय मकान का क्षेत्रफल 20 बाई 126 फीट यानि कुल क्षेत्रफल 2520 वर्गफीट (239 गज) मौका स्थिति से काफी अधिक दर्शाते हुए बनाया गया है। उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड मय मकान के उत्तर में हंसाराम पुत्र नरसाजी का मकान, दक्षिण में सोनी मोहन व रुपा/बदाजी का मकान है, पूर्व में नेव गली एवं पश्चिम में आम रास्ता है। पूरब दिशा की तरफ अर्थात पूठ में पड़ौस एवं हदुदो अनुसार नेव गली मौकानुसार वर्णित है जो नेव गली अड़ौस–पड़ौस के मकानों के बीच पिछले भाग में आयी हुई स्थित है, जिसका उपयोग पुराने कच्चे मकानो के पानी की निकासी एवं उनकी मरम्मत करने हेतु रहा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 259/2024
उनवान : किशोर कुमार बनाम सोनी बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

है। परन्तु वर्तमान में पक्के निर्माण हो जाने से उक्त गली की तरफ पानी निकासी एवं हवा के लिये दरवाजे–खिडकी खोलकर उपयोग–उपभोग कर रहे है।

3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के उक्त पट्टे के पूर्वी दिशा (पूठ में) की तरफ स्थित गली के 5 फीट के भाग को छोड़कर आगे प्रार्थी व उसके भाईयों के पुश्तैनी मकान आये हुए स्थित है जो मकानात् का पश्चिमी पिछला (पूठ वाला) भाग है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त पट्टे की आड में अपने भूखण्ड मय मकान के पिछली तरफ अर्थात् पूर्वी दिशा में स्थित 5 फीट गली पर पूरा अतिक्रमण करते हुए पक्का निर्माण करवा रही है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा आपसी समझौता एवं मौका फर्द दिनांक 21.02.2022 के अनुसार उक्त नेव गली के अड़ौस–पड़ौस के मकानात् के दोनो पक्षकार आधा–आधा यानि 2.50–2.50 फीट पर अपना कब्जा स्थापित कर उसका उपयोग उपभोग करने की आपसी सहमति हुई थी। उसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपनी हठधर्मिता से बाज नही आकर उक्त पट्टे की आड में मौके पर प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में ली जाने वाली गली भाग पर भी नाजायज तरीके से कब्जा कर उस भाग पर भी पक्का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावे एवं उक्त नजरी नक्शा में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवादित नेवल गली में अवैध पक्का निर्माण करवाया जा रहा है उसे लाल स्याही से मार्क 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' से दर्शित कर रखा है। इस तरह उक्त आम नेव गली में प्रार्थी संख्या 01 द्वारा अवैध निर्माण करवाने से प्रार्थी के हक–अधिकार प्रभावित हो रहे है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।
4. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के अड़ौस–पड़ौस एवं उसके पिछले भाग की तरफ आये हुए मकानात के मालिकों द्वारा उक्त गली का आज भी आम गली के रुप में उपयोग–उपभोग किया जा रहा है, जिसके रहते अगर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अवैध तरीके से उक्त गली में पक्का निर्माण करवाकर उसे बन्द किया जाता है तो गली में बारिश के समय पानी जमा होगा जिसकी वजह से आस–पास के तमाम मकानात् की नीवें खराब होगी एवं भविष्य में मकानों के गिरने की भी पूर्ण संभावना रहेगी। इसके साथ–साथ प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों को उक्त गली के सुखाधिकार से हमेशा–हमेशा के लिए वंचित होना पडेगा।
5. यह है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत बांकली में जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव मय पट्टा एवं मिसल पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को तृतीय पक्षकार होना बताते हुए नकले देने से स्पष्ट रुप से इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव से जारी पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी द्वारा उपपंजीयन कार्यालय, सुमेरपुर से प्राप्त कर यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश कर रहे है।
6. यह है कि जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव से जारी पट्टा विलेख के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बांकली द्वारा कोई किसी प्रकार की मिसल पत्रावली कायम नही की गई है एवं न ही राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना के तहत अपनाये जाने वाली प्रक्रिया को कानुनी रुप से पूर्ण की है ऐसी स्थिति में बिना प्रक्रिया अपनाये ही जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव पारित किया गया है वह निरस्त करने योग्य है।
7. यह है कि पंचायत राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 के तहत ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी आदेश प्रस्ताव से जारी पट्टे की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है एवं न ही कोई किसी प्रकार का मौका मुआयना जारी पट्टे के सम्बन्ध में किया गया है। इस तरह ग्राम पंचायत से जारी पट्टे की प्रक्रिया पूर्ण नही कर विधिनुसार कार्यवाही नही की है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा विधि विहिन प्रक्रिया से जैर निगरानी आदेश प्रस्ताव पारित किया है जो काबिल खारिज है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए मिसल संख्या 194/2008–2009 के आदेश व प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 01 दिनांक 06.01.2009 को निरस्त फरमावें एवं उक्त आदेश व प्रस्ताव के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख पट्टा संख्या 39 को सिरे से निरस्त फरमावें एवं निगरानी हर्जा खर्चा प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 259/2024
उनवान : किशोर कुमार बनाम सोनी बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. पद संख्या 01 का जवाब है कि जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव विधि संवंत ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है तथा पट्टा संख्या 39 की कार्यवाही पूर्णतया विधि संवत् होने से निरस्त योग्य नही है प्रार्थी ने सरासर गलत रुप से निगरानी पेश की है।
2. यह कि पद संख्या 02 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जैर निगरानी संख्या 39 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 06.01.2009 की अनुपालना में दिनांक 28.08.2009 को पुश्तैनी मकान का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(1) के तहत सही जारी किया गया है। उपरोक्त मकान अप्रार्थी संख्या 01 का पुश्तैनी है तथा मकान का क्षेत्रफल 20 फीट बाई 126 फीट कुल क्षेत्रफल 2520 वर्गफीट मौका स्थिति अनुसार सही रुप से जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कथन की पूर्व की तरफ पूठ में नेव गली आई हुई है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टा मौके की स्थिति पर निर्माण देख कर सही रुप से जारी किया है तथा अप्रार्थी संख्या 01 का पट्टे अनुसार ही मौके पर निर्माण किया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पड़ौसियों की समानान्तर रेखा में अपने पट्टाशुदा भाग पर निर्माण है तथा 126 फीट की लम्बाई के बाद नेव गली आई हुई है जिस पर प्रार्थी का अवैध अतिक्रमण बना हुआ है जिससे बचने के लिए प्रार्थी ने यह निगरानी गलत रुप से पेश की है।
3. पद संख्या 03 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पूठ में गली को प्रार्थी द्वारा ही अतिक्रमण कर अपने कब्जें में गलत रुप से मिला लिया है। अप्रार्थी संख्या 01 का मकान मौके पर 126 फीट लम्बा ही आया हुआ है तथा पीछे की तरफ नेव गली को प्रार्थी व उसके भाईयों द्वारा ही अतिक्रमण किया गया है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध यह निगरानी पेश कर अपनी गलती को सही साबित करने पर तुला है जिससे अप्रार्थी संख्या 01 के पट्टाशुदा लम्बाई 126 फीट के पश्चात प्रार्थी द्वारा किये गये नेव गली के निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने सरासर गलत रुप से निगरानी अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश की है जो कदापि चलने योग्य नहीं है।
4. पद संख्या 04 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पट्टे का नाप 20 फीट बाई 126 फीट है तथा इसी अनुरुप अप्रार्थी संख्या 01 के मकान का निर्माण भी मौके पर किया गया है 126 फीट खत्म होने के पश्चात नेव गली में प्रार्थी द्वारा अवैध निर्माण किया गया है तथा अड़ौस पड़ौस में प्रार्थी के भाईयान के मकानात के निर्माण में भी गली को निर्माण कर बन्द कर दिया गया है तथा सुखाधिकार का हनन किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी अपनी तथा अपने भाईयों की गलती को छिपाने के उद्देश्य से यह निगरानी गलत रुप से पेश की है।
5. पद संख्या 5 कानूनी है।
6. पद संख्या 06 का जवाब है कि उपरोक्त पट्टा विलेख के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जाशुदा परिसर का नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर उपरोक्त पट्टा मिसल कायम कर जारी किया गया है। तथा उसी अनुरुप पट्टा अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 01 का मौके पर निर्माण भी है तथा पंचायतीराज की समस्त नियमों की पालना करते हुए उपरोक्त पट्टा जारी किया गया है जो जैर निगरानी खारिज योग्य है।
7. पद संख्या 07 का जवाब है कि जैर निगरानी आदेश प्रस्ताव से जारी पट्टा पंचायतीराज नियम के समस्व प्रावधानों की पालना कर ही मौका मुआयना करते हुए जैर निगरानी आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार से कानुनी प्रक्रिया की अवहेलना नहीं की गई है। प्रार्थी ने अपनी गलती को छुपाने के उद्देश्य से यह निगरानी गलत रुप से अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश की है।

अतः निगरानी का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी को खारिज करे तथा मिसल संख्या 194/2008–09 के आदेश व प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.01.2009 की पुष्ठि कर विक्रय विलेख पट्टा संख्या 39 को वैध घोषित करे। व प्रार्थी द्वारा सरासर गलत रुप से किये निगरानी का हर्जा खर्चा प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 01 को दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादित पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत मात्र 100/– की निर्धारित राशि पर नियम 157 (1) के तहत पुत्रवधु के नाम जारी किया गया है। साथ ही विवादित पट्टे में पूर्व दिशा की ओर एक अंकित है, किन्तु पट्टाधारी द्वारा निर्माण कार्य कर उक्त गली को बंद कर दिया गया है, जिससे आम रास्ते का उपयोग बाधित हुआ है। यह भी कि विवादित पट्टा गलत नाप–जोख एवं त्रुटिपूर्ण सीमांकन के आधार पर तैयार किया गया है। पट्टा बनाते समय वास्तविक माप का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरुप तथाकथित 'नेव गली' का भाग भी पट्टे में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः पट्टे का सीमांकन वास्तविक स्थिति के अनुरुप नहीं होने से पट्टा त्रुटिपूर्ण एवं विवादास्पद है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 259/2024
उनवान : किशोर कुमार बनाम सोनी बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी के तर्कों का प्रतिकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित पट्टे के पूर्व में नेव गली स्पष्ट रुप से अंकित है तथा पट्टा मौके का निरीक्षण कर एवं स्वीकृत नक्शे के अनुरुप विधिवत माप–जोख के पश्चात जारी किया गया है। इसलिए यह कहना कि पट्टे में गली का भाग सम्मिलित कर लिया गया है तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय स्थिति के विपरित है। अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान में भी मौके पर लगभग 5 फीट चौड़ी नेव गली विद्यमान है तथा अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि यदि किसी स्तर पर अतिक्रमण का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह एक पृथक विषय है, जिसका निराकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। मात्र अतिक्रमण के आरोप के आधार पर विधिवत रुप से जारी किए गए पट्टे की वैधानिकता पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः में अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत निवास एवं कब्जे के आधार पर जारी किया गया है। पट्टा जारी किए जाने से पूर्व सोनीबाई के पति का निधन हो चुका था। ऐसी स्थिति में परिवार की महिला मुखिया होने के कारण सोनीबाई के नाम पट्टा जारी किया जाना नियमों के अनुरुप एवं पूर्णतः वैध था। अतः पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता, अवैधानिकता अथवा नियमों का उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा विचाराधीन निगरानी याचिका के माध्यम से आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 39 दिनांक 28.08.2009 बज़तरफ अप्रार्थी सोनीबाई को मुख्यतः इस आधार पर चुनौति दी गई है कि उक्त पट्टा विलेख गलत माप का जारी करने से प्रार्थी एवं अप्रार्थिया के मकानों के बीच स्थित नेव गली का भाग भी आलोच्य पट्टा विलेख की भूमि में सम्मिलित किया गया है एवं इस पट्टे की आड़ में अप्रार्थिया द्वारा निर्माण कार्य करवाकर उक्त गली को अवरुद्ध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के ध्यानपूर्वक विश्लेषण उपरान्त यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत बांकली द्वारा अप्रार्थिया श्रीमती सोनीबाई के पक्ष में ज़रिए प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.01.2009 पुश्तैनी गृहों के विनियमितिकरण के रुप में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख बमाप 20 x 126 वर्गफीट का निष्पादित किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसर प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मकान परस्पर विपरित दिशा में स्थित हैं जिनके बीच में खालसा गली स्थित है जो कि प्रार्थी के कथनानुसार पांच फीट चौड़ी है तथा तथाकथित रुप से अप्रार्थिया के उक्त पट्टा विलेख के उक्त गली के भाग को भी सम्मिलित किया गया है।

यद्यपि सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान प्रार्थी ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे जिसके आधार पर याचिका में अंकित उनके इस आक्षेप की पुष्टि हो सके कि अप्रार्थिया के पक्ष में निष्पादित आलोच्य पट्टा विलेख में उक्त खालसा गली के भू–भाग को भी सम्मिलित किया गया है। अर्थात याचिकाकर्ता ने अप्रार्थिया के मकान की बिंल्डिग लाईन में स्थित अन्य भूखण्डों के पट्टा विलेख इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए है जिसके आधार पर यह उपधारणा की जा सके कि अप्रार्थिया को विद्यमान बिंल्डिग लाईन से इतर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अधिक भूमि का पट्टा विलेख जारी किया हो। साथ ही, अप्रार्थिया श्रीमती सोनीबाई के पक्ष में निष्पादित जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 39 दिनांक 28.08.2009 की चतुर्दशी में पूर्व दिशा की तरफ उक्त नेव गली स्थित होना स्पष्ट रुप से अंकित भी किया हुआ है।

साथ ही, प्रार्थी द्वारा आलोच्य पट्टा विलेख के विरुद्ध प्रस्तुत प्रक्रियात्मक आक्षेप भी मूल रिकॉर्ड के अवलोकन उपरान्त सिद्ध नहीं पाये गए है। अर्थात प्रार्थी ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहे है जिस आधार पर आलोच्य पट्टा विलेख की वैधता को प्रश्नगत किया जा सके। किन्तु, यह स्वीकार्य स्थिति (Admitted position) है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थिया के मकानों के मध्य खालसा गली अवस्थित है, जो कि आलोच्य पट्टा विलेख की चतुर्दशी में भी अंकित है। प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका के सलंग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे एवं प्रार्थी के भूखण्ड के चिपते स्थित श्री कन्हैयालाल पुत्र जीवाजी धांची के भूखण्ड के विक्रय विलेख दिनांक 02.12.1994 से यह भी प्रमाणित होता है कि उक्त खालसा गली कुल पांच फीट चौड़ी है। ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत बांकली की मौका फर्द दिनांक 21.02.2022 जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में सलंग्न उपलब्ध है, में भी उक्त खालसा गली बमाप पांच फीट के होने की पुष्टि की गई है। स्वयं अप्रार्थिया ने भी निगरानी याचिका में प्रस्तुत अपने जवाबपत्र के पद संख्या एक में अपने 126 फीट माप उपरान्त नेव गली होना स्वीकार किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 259 / 2024

उनवान : किशोर कुमार बनाम सोनी बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

ग्राम पंचायत पदाधिकारियों द्वारा तैयार पूर्वोक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.02.2022 में यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त खालसा गली को जगह जगह अतिक्रमण कर अवरुद्ध किया गया है। यद्यपि उक्त मौका फर्द में यह भी अंकित है कि दोनों तरफ के मकान धारकों द्वारा एक आपसी समझौता कर उक्त पांच फीट गली को आपस में ढाई–ढाई फीट बांटकर अपने कब्जे में लिया गया है। चूंकि उक्त नेव गली सार्वजनिक निकास है जिसका स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूमि विक्रय विलेखों में भी अंकन है, अतः ऐसी सार्वजनिक गली को मकानधारको द्वारा आपसी करार कर कब्जाधीन कर पूर्णत अवैध कार्यवाही की श्रेणी में आता है किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट से यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थिया के मकानों के मध्य स्थित नेव गली में जगह जगह अतिक्रमण कर अवरुद्ध किया गया है।

संक्षेप में, प्रार्थीपक्ष हस्तगत निगरानी याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिसके आधार पर जैर निगरानी आलोच्य प्रस्ताव एवं भूमि विक्रय विलेख को अवैधानिक ठहराया जा सके। किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मकानों के मध्य पांच फीट चौडी खालसा गली अवस्थित होना तथा उस जगह जगह अतिक्रमण होना भी प्रमाणित है।

अतः हस्तगत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 खारिज की जाती है साथ ही, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बांकली को यह निर्देश दिए जाते है कि अप्रार्थिया के पट्टा विलेख संख्या 39 दिनांक 28.08.2009 में पूर्व दिशा में अंकित नेव गली, जो कि विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में पांच फीट माप की होना प्रमाणित है, का मापचौक कर अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण ध्वस्त करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समस्त कार्यवाही इस निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर किया जाना आज्ञापक होगा। निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो तथा मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाया जाए।

निर्णय आज दिनांक **26.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को पुनः लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला पाली
बाली